

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(9)नविवि / 2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक :— 22 FEB 2021

आदेश

श्री रमेश चन्द्र शर्मा, रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर अपने पद के कार्य के साथ-साथ रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जयपुर के पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—१०—

(पुरुषोत्तम शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय